मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 23.03.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” व “मिशन शक्ति अभियान 5.0 द्वितीय चरण” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अभियोग में आरोपी को करायी 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 60,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति अभियान 5.0 द्वितीय चरण के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना चुनार पर मूकबधिर के साथ दुष्कर्म से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहो को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹ 60,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 28.03.2018 को थाना चुनार पर वादी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री जो शादीशुदा व मूकबधिर है, के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना चुनार पर मु0अ0सं0-107/2018 धारा 450,376(2)(ठ) भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” व मिशन शक्ति अभियान 5.0 द्वितीय चरण के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्तएवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-डीजीसी आलोक राय, विवेचक- निरीक्षक राजीव सिंह व उप निरीक्षक रमाकान्त यादव, कोर्ट मुहर्रिर-महिला मुख्य आरक्षी मन्जू यादव व मुख्य आरक्षी पवन कुमार पाण्डेय तथा पैरोकारमुख्य आरक्षी मन्नू यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः 23.03.2026 को मा0न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर- अरविन्द मिश्रा-II, द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त महेश सिंह पुत्र रामू सिंह निवासी नुआव थाना चुनार जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष कारावास एवं ₹ 60,000.00/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।